<u>राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ, जयपुर</u>

<u>एकलपीठ सिविल विविध अपील संख्या–2561/2022</u>

आदेश दिनांकः– **30.09.2022**

<u>माननीय न्यायाधिपति श्री प्रकाश गुप्ता</u>

उपस्थितः–

अधिवक्ता वास्ते अपीलार्थी :– श्री वीरेन्द्र अग्रवाल

सुना गया ।

प्रत्यर्थीगण को अपील व स्थगन प्रार्थना पत्र के नोटिस दिनांक 10.11.2022 की वापसी के लिए जारी किए जावें ।

योग्य अधिवक्ता अपीलार्थी इस संबंध में आवश्यक कार्यवाही एक सप्ताह में करें ।

अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब किया जावे।

यदि अपीलार्थी द्वारा एक माह की अवधि में न्यायालय मोटरवाहन दुर्घटना दावा अधिकरण, अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संख्या–2, तिजारा, जिला अलवर, द्वारा पारित निर्णय व पंचाट दिनांक 15.07.2022 की सम्पूर्ण राशि अधीनस्थ न्यायालय में जमा करा दी जाती है तो आगामी आदेश तक आक्षेपित निर्णय व पंचाट की क्रियान्विति/निष्पादन की कार्यवाही स्थगित रहेगी।

विद्वान अधीनस्थ न्यायालय को निर्देश दिये जाते हैं कि उपरोक्तानुसार राशि जमा होने पर उक्त राशि का वितरण इस न्यायालय के आदेश के बिना प्रत्यर्थी/क्लेमेंट्स को नहीं किया जावे तथा उसे किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में स्थायी खाते के रूप में जमा कराया जावे ।

पत्रावली दिनांक 10.11.2022 को न्यायालय के समक्ष सूचीबद्ध की जावे।

(न्या0 प्रकाश गुप्ता)

ऋषिकेश सोनी/22